शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81

E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

क्रमांक: DrAMWS/2026/GS/061 दिनांक : 06.02.2026

1. श्री सत्यवीर सिंह, 93, गंगासागर बी कोलोनी, वैशाली नगर, जयपुर -302021
2. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, 88, पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर -302018
3. डॉ चेतराम रायपुरीया, ए-2, हरविलास, शारदा मार्ग, सिविल लाइंस, अजमेर -305001
4. श्री दयानंद सक्करवाल, ए-6, आनंद विहार, गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि सिद्धि चोराहा, जयपुर -302018

(ईमेल द्वारा प्रेषित)

विषय: आपका अवैधानिक पत्र क्रमांक Dr. AMWS/88/2026 दिनांक 02.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके उपरोक्त पत्र में आपने आपके उपर लगाए गए किसी भी आरोप का तथ्यात्मक जानकारी के साथ खंडन नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप द्वारा लगातार अवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं। आपको पूर्व में पत्र क्रमांक 056 दिनांक 31.01.2026 द्वारा आपके पत्र में शामिल सभी विषयों पर जवाब दिया जा चुका है और आप अगर असहमत हैं तो आप विधिक उपाय करें और आगे से इन विषयों पर कोई पत्राचार नहीं करें।

जहां तक माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम -8, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा दीवानी विविध अपील संख्या 08/2025 एवं सी आई एस आर नंबर 105/2025 में पारित फैसला दिनांक 30.01.2026 का प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्य आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है, जिससे कि आप कोई ग़लत अवधारणा नहीं बनावें।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2026 के **पैरा संख्या 1** अनुसार:- "अपीलार्थी/ प्रार्थी/ वादी की और से यह दीवानी विविध अपील विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम 2, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 63/2024 उनवानी बनवारी लाल बनाम डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी व अन्य में पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 17.10.2025 से व्यथित होकर श्रीमान जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के समक्ष पेश की गई। उक्त अपील अन्तरित होकर विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई"।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2026 के **पैरा संख्या 9** अनुसार :– "दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/ अप्रार्थीगण ने लिखित में वर्णित तथ्यों को दोहराया व तर्कपूर्ण निवेदन किया कि प्रकरण में **स्वीकृत रूप से संस्था के नियुक्त चुनाव अधिकारी छगन बेनीवाल** ने संस्था के

चुनाव की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में चाहा गया अनुतोष निष्फल हो गया है"।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2026 के **पैरा संख्या 11** अनुसार :- "***हस्तगत अपील में न्यायालय को यह दृष्टिगत करना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 17.10.2025 में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि है"?***

अतः माननीय न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा ही नहीं था कि दिनांक 04.01.2026 को चुनाव हुए हैं अथवा नहीं और पूर्व के पदाधिकारी अपने पदों से निवृत हो चुके हैं या नहीं।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2026 के **पैरा संख्या 13** अनुसार सोसायटी विधान क्रमांक 10 ग में यह प्रावधान है किया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति सहवरण से की जाएगी।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2026 के **पैरा संख्या 14** अनुसार:- "**इस प्रकार उक्त विधान के प्रथमदृष्टया अवलोकन से प्रकट है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के संबंध में सहवरण प्रकिया का पालन किया जाएगा। उक्त सहवरण 58 पदों के लिए होगा या 54 पदों के लिए, इसके संबंध में 10ग में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया। इस प्रकार समिति के उक्त प्रावधानों के प्रथमदृष्टया अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि अध्यक्ष के रिक्त पद पर सहवरण प्रकिया से नियुक्ति नहीं की जा सकती हो**"।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2026 के **पैरा संख्या 16** अनुसार:- "इस प्रकार हमारे विनम्र मतानुसार विद्वान न्यायालय ने अभिलेख पर आए अभिवचनों, तथ्यों व परिस्थितियों तथा उपलब्ध अभिलेख को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये आलौच्य आदेश पारित किया है, जिसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है एवं आलौच्य आदेश विधिसम्मत होना पाया जाता है"।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2026 के **पैरा संख्या 17** अनुसार:- "**उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अपीलार्थी प्रार्थी की और से प्रस्तुत हस्तगत अपील खारीज किए जाने व विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश सम्पुष्ट करने योग्य पाया जाता है**"।

अंत में माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है।

"परिणामत: अपीलार्थी/ प्रार्थी की और से प्रत्यर्थीगण/ अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 17.10.2025 सम्पुष्ट किया जाता है"।

शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान
13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com
सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

फिर भी माननीय न्यायालय के फैसले में संदर्भित पैरा संख्या 15 के बारे में माननीय न्यायालय में अपील दायर कर इसको स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

अतः यह स्पष्ट है कि श्री जसवन्त सम्पतराम की सहवरण से अध्यक्ष पद पर आम सहमति से नियुक्ति और आमसभा से अनुमोदित नियुक्ति पर किसी प्रकार की न्यायालय की रोक नहीं है और श्री जेपी विमल को चुनाव अधिकारी पद से हटाने और श्री छगन बेनीवाल को चुनाव अधिकारी नियुक्त करने में कोई त्रुटी नहीं है।

अतः श्री बनवारी लाल बैरवा द्वारा स्वयं को अध्यक्ष घोषित करके जारी किए सभी आदेश एवं कार्य आरंभ से ही शून्य एवं अवैधानिक होने के कारण स्वयं ही अवैधानिक है और श्री जसवन्त सम्पतराम द्वारा अध्यक्ष के रूप में जारी समस्त आदेश एवं कार्य वैधानिक है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप तत्काल प्रभाव से सोसायटी परिसर का अवैधानिक कब्जा समाप्त करें जिससे कि श्री जसवन्त सम्पतराम की अध्यक्षता में कार्यरत कार्यकारिणी को अपना दायित्व निभाने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो एवं श्री छगन बेनीवाल द्वारा जारी केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो।

(जी एल वर्मा)
महासचिव
9829688869

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. रजिस्ट्रार संस्थाएं, देव नगर, टोंक फाटक, जयपुर ।
2. सोसायटी सदस्य, सोसायटी वेबसाइट, सोशल मीडिया, प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से।

महासचिव